राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या............2133/2014.............................. जिला ....श्रीगंगानगर...

उनवान : मैसर्स महावीर जिनिंग फैक्ट्री, श्रीगंगानगर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी, वा. कर, बीकानेर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'अ', श्रीगंगानगर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

<u>श्री मनोहर पुरी, सदस्य</u>

19/12/2014

अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या अ.प्रा./बीका./स्थगन/14–15 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 02.09.2014 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'अ' श्रीगंगानगर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी के वर्ष 2007–08 के लिये वेट अधिनियम की धारा 26 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 29.05.2014 से सृजित मांग राशि रूपये 2,93,473/– में से रूपये 2,77,123/– की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार किया है। अतः अपीलार्थी द्वारा इस स्थगन प्रार्थना–पत्र के जरिये प्रकरण में वसूली योग्य राशि रूपये 2,77,123/– की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री वी. के. पारीक एवं विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के **एस.बी. वैट रिविजन पिटिशन नं0 135/2013 ब्रिजलाल पवन कुमार हनुमानगढ़ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, हनुमानगढ़ में पारित निर्णय दिनांक 3.9.2014** का हवाला देते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में वर्तमान प्रकरण के समान तथ्यों पर आधारित मांग को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित किया गया है। अतः प्रकरण में वसूली योग्य राशि पर स्थगन आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

लगातार............2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या............2133/2014.............................. जिला ....श्रीगंगानगर..

उनवान : मैसर्स महावीर जिनिंग फैक्ट्री, श्रीगंगानगर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी, वा. कर, बीकानेर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'ए', श्रीगंगानगर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/12/2014	पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन करने तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त के अवलोकन के उपरान्त प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरण में वसूली योग्य राशि **रूपये 2,77,123/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। निर्णय सुनाया गया। (मनोज) 19.12.2014 **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**	